संख्या-1/77/26-1-2014

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 09 जनवरी, 2014

विषय:- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य ऐसी ही जातियों की समस्याओं को दूर करने के लिए समन्वयक अधिकारी को नोडल आफिसर नियुक्त किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजातियों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलायी जा रही है, परन्तु उनका लाभ प्राप्त करने तथा अन्य ऐसी कठिनाईयों को दूर करने के लिए सक्षम अधिकारी से सम्पर्क करने के विषय में उनको समुचित जानकारी नहीं हो पाती है।

अत: शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक जिला स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी अथवा उस पद का कार्य देख रहे अन्य अधिकारी को जिला स्तरीय समन्वयक अधिकारी(डिस्टिक नोडल अधिकारी) मण्डल स्तर पर उपनिदेशक, समाज कल्याण विभाग को नोडल अधिकारी एवं राज्य स्तर पर निदेशक, समाज कल्याण तथा शासन स्तर पर विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है। उपरोक्त अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की समस्याएं सुनकर उन्हें उचित सहायता व मार्ग-दर्शन प्रदान करेंगे, जिससे कि उनकी समस्याओं का समय से निस्तारण हो सके।

भवदीय,

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-1/77(1)/26-1-2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
3- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 को व्यापक प्रचार व प्रसार हेतु।

आज्ञा से,

(के0राम मोहन राव)
सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in